


15/6/2020

कराला (सज०)

पत्रावली पेश हुई। पत्रोका तहसीलदार
उपस्थित। ऊँर सापल स्वयं उपस्थित हुआ
तहसीलदार करौली के प्रस्ताव अनुसार
ऊँर सापल को संशोधित आदेश दिए जाने
में कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी सहमति
प्रदान की गई है। अतः तहसीलदार करौली
का प्रस्ताव अर्थात् धारा 136 LRA Act
स्वीकार किया जाकर नम्ब्रा शीट राजस्व
गण करण्ड के रकम 677/1, रकम 1.10 बीघा
रुप 369/1, रकम 1.10 बीघा की आवंटी खोदना
की कौका कला के अनुसार नम्ब्रा शीट में
तस्मीक फिये जाने के आदेश दिये जाते हैं
आदेश तहसीलदार करौली के जारी हो।
तदनुसार तहसीलदार पालना करें।

136 LRA Act क
तहल नम्ब्रा शीट में
तस्मीक करवाये जाने
में साचों के कोई
आपत्ति नहीं है।



रि० रामसिंह

[Handwritten signature]

पत्रावली फल भुगत होकर नक्का
से कम होकर वाद लकील दाखिल
दफ्तर हो।

[Handwritten Signature]

उपखण्ड अधिकारी
करोली (राज०)

